

पत्र सं० : 5/पी० (नई यो०)- 02/2017-58(5)ब/स्वा० राँची, दिनांक : 25/01/18


झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

शुद्धि-पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 43(5)ब दि० 27.11.17 एवं आवंटनादेश सं०- 48(5)ब दि० 14.12.17 की कंडिका '3' में अंकित "इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, औषधि, झारखण्ड, राँची होंगे। इस राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे" को संशोधित रूप में निम्नवत पढ़ा जाए:-

"इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, औषधि, झारखण्ड, राँची होंगे, जो राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी कर झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट एण्ड प्रोक्यूरमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, नामकुम, राँची के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करेंगे। इस राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे"।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश की कंडिका '8' को एतद द्वारा विलोपित किया जाता है।




(सुधीर त्रिपाठी)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या- 58(5)ब

राँची, दिनांक: 25/01/18

प्रतिलिपि: माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/अभियान निदेशक, झारखण्ड स्वास्थ्य मिशन, नामकुम, राँची/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/निदेशक, औषधि, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।



(सुधीर त्रिपाठी)
अपर मुख्य सचिव।